न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी टीकम चन्द बोहरा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 07/2024 प्रार्थना पत्र

उनवान

श्री कालूराम पुत्र काना गाडौलिया लुहार, निवासी पंचायत समिति के पास, भिनाय, तहसील भिनाय जिला केकड़ी।	बनाम	थानाधिकारी हनुमान नगर, जिला शाहपुरा
---प्रार्थी		---विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 5 गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री बाबू लाल आचार्य (अधिवक्ता) - प्रार्थी की ओर से

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

निर्णय

दिनांक :14.02.2024

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 5 गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एक काश्तकार एवं पशुपालक है और प्रार्थी ने स्वयं के व अपने परिवार व रिश्तेदारों के लिए भिनाय से विभिन्न लोगों से 12 दुधारू गायें व 02 बछड़े खरीदरकर वाहन से अपने डेयरी स्थल पर ले जाते वक्त उक्त मवेशियों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। पुलिस को तफतीश में उक्त 12 दुधारू गायें व 02 वछड़ों की अब कोई आवश्यकता नही हैं। उक्त जप्तशुदा मवेशी चारा पानी के अभाव में भूखे प्यासे मर रहे है। न्यायालय द्वारा जब भी उक्त वाहन को तलब किया जायेगा प्रार्थी अपने स्वयं के खर्चे से उपस्थित कर देगा। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जप्तशुदा मवेशी प्रार्थी को सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया है।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.02.2024 को पंजीबद्ध करते हुए विपक्षी से प्रकरण में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट तलब एवं प्रकरण के संबंध में की गयी। थानाधिकारी हनुमान नगर द्वारा पत्रांक 533 दिनांक 14.02.2024 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक हिरासत में है एवं प्रकरण में कोई अनुसंधान शेष है।

3. प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा डेयरी स्थल पर ले जाते समय गलत मुकदमा दर्ज कर 12 दुधारू गायें व 02 बछड़े खरीदकर वाहन से जब्त किया जबकि प्रार्थी ने उक्त गायें किसान परिवार से दूध व पशुपालन हेतु क्रय की है जिसकी समुचित देखभाल प्रार्थी द्वारा ही की जा सकती है एवं प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। उक्त गायें गर्भावस्था में है एवं उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता है। अतः प्रार्थी को उक्त

जिला कलक्टर
शाहपुरा

जब्तशुदा 12 दुधारू गायें व 02 बछड़े सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

4. प्रार्थी की बहस सुनी गयी एवं दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि उक्त प्रकरण में बरामदशुदा कुल 12 गायें व 2 बछडों का प्रवंधक परमेश्वर पिता किशन लाल खटीक को सुरक्षार्थ एवं देखभाल हेतु सुपुर्द की गई जिसमें से एक गाय की आज दिनांक 14.02.2024 को डिलेवरी के समय मृत्यु हो गई है। जिससे उक्त जब्तशुदा मवेशियों की उचित देखभाल नहीं होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

5. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 5 गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1955 स्वीकार की जाकर थाना हनुमान नगर जिला शाहपुरा के प्रकरण संख्या 37/2024 में जब्तशुदा गौवंश जीवित 11 गायें व 02 बछड़े प्रार्थी कालूराम पुत्र काना गाडौलिया लुहार निवासी पंचायत समिति के पास भिनाय, तहसील भिनाय जिला केकड़ी को इस शर्त पर सुपुर्द किया जाता है कि जब भी हनुमान नगर, थाना जिला शाहपुरा के प्रकरण संख्या 37/2024 में उक्त मवेशियों को तलब किया जायेगा तो प्रार्थी स्वयं के खर्चे पर उपस्थित कर देगा। आदेश की प्रति थानाधिकारी, हनुमान नगर जिला शाहपुरा को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

14/02/24
(टीकम चन्द बोहरा)
जिला कलक्टर,
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा